



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032025-261489  
CG-DL-E-06032025-261489

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1093]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 2025/फाल्गुन 15, 1946

No. 1093]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2025/PHALGUNA 15, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025

का.आ. 1101(अ).—केंद्रीय सरकार उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 22 के उप-खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. सा. 3723(अ) तारीख 2 सितम्बर 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 19 के समक्ष, स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्ट के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्ट रखी जाएगी, अर्थात:-

“एलआर एनर्जी वृंदावन प्राइवेट लिमिटेड”

[फा. सं. 1-17/2023 उर्वरक विधि]

फ्रेंकलिन एल. खोबुंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना, भारत का राजपत्र में का. सा. 3723 (अ) तारीख 2 सितम्बर 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2025

**S.O. 1101(E).**—In exercise to powers conferred by sub-clause (c) of clause 22 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare number S.O. 3723(E) dated 2<sup>nd</sup> September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely,:-

In the said notification, in Table, against S. No. 19, for the entry under column (2), the following entry shall be substituted, namely:-

“LR Energy Vrindavan Private Limited”

[F. No. 1-17/2023 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

**Note:-** The Principle notification was published in the Gazette of India S.O. 3723(E) dated the 2<sup>nd</sup> September, 2023.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025

**का.आ. 1102(अ).**—केंद्रीय सरकार उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 22 के उप-खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनिर्माताओं को सारणी के स्तंभ (2) के अधीन उल्लिखित किण्वित कार्बनिक खाद (एफओएम) और तरल किण्वित कार्बनिक खाद (एलएफओएम) किसानों को सीधे थोक में अपने उत्पाद एफओएम और एलएफओएम को विक्रय करने के लिए राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करती है,

**सारणी**

क्रमांक	विनिर्माता का नाम	संयंत्र का पूरा पता
(1)	(2)	(3)
1	एनडीडीबी मृदा लिमिटेड	एनडीडीबी मृदा लिमिटेड सी/ओ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जी-1 फेज I, रामनगर औद्योगिक क्षेत्र, जिला:- चंदौली, उत्तर प्रदेश 221110
2	गायत्री इनोवेटिव एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर: 356/3 इलाकोलानु, रंगमपेटा मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश, 533294
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड	प्लॉट नंबर 260,261,262, खाता नंबर 77,54,29 ग्राम झिरी, रांची, झारखंड
4	बारामती एग्रो लिमिटेड	गट नंबर 177, गांव नोइम्बोदी, तालुका: बारामती, जिला: पुणे, राज्य: महाराष्ट्र, पिन:413130
5	नेचरल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	नेचरल शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साईनगर, रांजणी, तालुका कलम, जिला धाराशिव -413528 (महाराष्ट्र)
6	एनकेजे बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना के बगल में, एनएच-30, राम्हेपुर, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़.)

7	डब्ल्यूआई ग्रीन वेंचर्स एलएलपी	गाँव मलेशिया, डाकघर-मंडी धनौरा, जिला-अमरोहा (उत्तर प्रदेश) पिन कोड 244231
---	--------------------------------	---

[फा. सं. 1-17/2023 उर्वरक विधि]

फ्रेंकलिन एल. खोबुंग, सयुंक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2025

**S.O. 1102(E).**—In exercise to powers conferred by sub-clause (c) of clause 22 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby authorise the following manufacturers of Fermented Organic Manure (FOM) and Liquid Fermented Organic Manure (LFOM) as mentioned under column (2) of the Table and to sell their product FOM and LFOM in bulk directly to farmers for a period of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely,-

**TABLE**

S. No	Name of the Manufacturer	Complete address of the Plant
(1)	(2)	(3)
1	NDDB Mrida Limited	NDDB Mrida Ltd. C/o Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., G-1 Phase I, Ramnagar Industrial Area, Distt:- Chandauli, Uttar Pradesh- 221110
2	Gayathree Innovative Energies Private Limited	Survey No: 356/3 Elakolanu, Rangampeta mandal, East Godavari District, Andhra Pradesh 533294
3	GAIL (India) Limited	Plot No.260,261,262, Khata No. 77,54,29 Village Jhiri, Ranchi, Jharkhand
4	Baramati Agro Limited	Gat No.177, Village Nimbodi, Taluka: Baramati, District: Pune, State: Maharashtra, Pin:413130
5	Natural Sugar and Allied Industries Limited	Natural Sugar and Allied Industries Ltd., Sainagar Ranjani, Taluka Kallam, District Dharashiv -413528 (Maharashtra)
6	NKJ Biofuel Private Limited	Beside Bhoramdeo Sahakari Shakkar Utpadak Karkhana, NH-30, Ramhepur, Kawardha, District- Kabirdham (Chhattisgarh)
7	WI Green Ventures LLP	Vill. Malaysia, Post Office- Mandi Dhanaura, Distt-Amroha (Uttar Pradesh) Pin Code 244231

[F. No. 1-17/2023 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.